मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

मेट्रो प्लाज़ा, ई-5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल - 462016

फोन 0755.2430154 फेक्स 0755.2430158

वेबसाइट- www.mperc.nic.in ई-मेल secmperc@sancharnet.in

क्रमांक: मप्रविनिआ / सं (आर ई)/2016/ 1761 भोपाल दिनांक: 04.11.2016

सार्वजनिक सूचना

(याचिका क्रमांक 40/2016)

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय एवं खुदरा विद्युत प्रदाय अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्ते तथा प्रभारों के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2012 (आरजी-35 (I) वर्ष 2012)", दिनांक 29 नवम्बर 2012 को अधिसूचित किया गया है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., भोपाल, म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि., इन्दौर एवं म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि. जबलपुर (जिन्हें "याचिकाकर्ता" पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी एवं एम.पी.पी.एम.सी.एल. उल्लेखित किया जायेगा) मध्यप्रदेश राज्य शासन की पूर्ण स्वामित्व की कंपनियां है। म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि. जबलपुर राज्य की उपरोक्त तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है एवं इसके द्वारा राज्य की तीनों वितरण कंपनियों के साथ दिनांक 05 जून 2012 को प्रबंधन एवं कार्पोरेट कार्यों बाबत् अनुबंध किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2013-14 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के सत्यापन के लिये याचिका प्रस्तुत की है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत समग्र वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सारांश निम्नांकित है :-

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वास्तविक एवं अन्तर की वार्षिक राजस्व आवश्यकता

(रू करोड़ में)

क्र.	विवरण	अवधारित राजस्व टैरिफ आदेशानुसार				वास्तविक दावा			
		पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र.	पश्चिम क्षेत्र	राज्य	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र	राज्य
1	i) बिजली खरीद लागत (पीजीसीआईएल शुल्क सहित)	4,119.08	4,619.91	6,729.67	15,468.66	5,229.61	5,530.52	6,612.22	17,372.35
	ii) सत्यापन का प्रभाव उत्पादन एवं पारेषण	177.44	191.22	215.88	584.54	-	-	-	-
	iii) पारेषण लागत एसएलडीसी शुल्क सहित	499.05	543.89	566.21	1,609.15	680.55	726.44	857.97	2,264.96
	कुल बिजली खरीद लागत पारेषण शुल्क सहित	**4,795.57**	**5,355.02**	**7,511.76**	**17,662.35**	**5,910.16**	**6,256.96**	**7,470.18**	**19,637.30**
2	संचारण संधारण व्यय नियामक आयोग की फीस सहित	852.63	747.42	793.56	2,393.61	982.77	779.62	1,831.03	3,593.42
3	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	179.03	181.56	154.88	515.47	309.43	428.96	188.88	927.27
4	अवक्षयण या अवमूल्यन	65.16	83.80	91.41	240.37	157.21	224.34	165.48	547.03

क्र.	विवरण	अवधारित राजस्व टैरिफ आदेशानुसार				वास्तविक दावा			
		पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र.	पश्चिम क्षेत्र	राज्य	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र	राज्य
5	रिटर्न ऑन इक्विटी	168.16	174.14	167.52	509.82	267.17	301.65	149.11	717.93
6	डूबन्त ऋण	1.00	1.00	1.00	3.00	585.06	723.42	261.00	1,569.48
7	अन्य व्यय	0	0	0	0	4.20	188.10	24.62	216.92
8	आयकर	0	0	0	0	0	0	0	0
9	सकल ए.आर.आर.	6,061.55	6,542.94	8,720.13	21,324.62	8,216.00	8,903.05	10,090.30	27,209.36
10	घटायें : अन्य आय	162.51	333.62	229.23	725.35	155.75	108.77	115.72	380.24
11	**नेट ए.आर.आर. (9-10)**	**5,899.04**	**6,209.33**	**8,490.90**	**20,599.27**	**8,060.25**	**8,794.23**	**9,974.58**	**26,829.12**
12	बिजली विक्रय से प्राप्त राजस्व	5,899.04	6,209.33	8,490.89	20,599.26	5,587.76	5,197.96	6,754.87	17,540.59
13	**वर्ष के दौरान (अन्तर) / आधिक्य**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(2,472.49)**	**(3,596.32)**	**(3,219.71)**	**(9,288.53)**

इच्छुक व्यक्ति उक्त याचिका पर अपनी आपत्तियां अथवा टीप अथवा सुझाव तीन प्रतियों में सचिव, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा ई-5 अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016 को प्रेषित कर सकते हैं जो कि दिनांक 21/11/2016 तक नियामक आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। आपत्तियों/टीप/सुझावों की अग्रिम प्रतियां ई-मेल (secmperc@sancharnet.in) के द्वारा भी प्रेषित की जा सकती हैं जिनकी मूल प्रतियां 21/11/2016 तक नियामक आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये। 21/11/2016 के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों/टीप/सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा। जनसुनवाई दिनांक 22/11/2016 को 11.30 बजे आयोग के कोर्ट रुम में नियत की गई है, जिसमें इच्छुक व्यक्ति अपनी आपत्तियों / सुझाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

याचिका की प्रति, इच्छुक व्यक्ति द्वारा दिनांक 07/11/2016 से किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक नियामक आयोग के कार्यालय अथवा मुख्यालय म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कं. लि. जबलपुर, ब्लॉक नं. 15, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर अथवा म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि., ब्लाक नं. 7 शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर अथवा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि. पोलोग्राउन्ड इन्दौर अथवा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. निष्ठा परिसर, गोविन्दपुरा, भोपाल से एक प्रति के लिए रूपये 500.00 के नगद भुगतान अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट देय एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि. जबलपुर अथवा क्षेत्रीय लेखाधिकारी, (जबलपुर वृत्त) , म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर अथवा क्षेत्रीय लेखाधिकारी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. पोलोग्राउन्ड इन्दौर अथवा क्षेत्रीय लेखाधिकारी, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि. गोविन्दपुरा भोपाल क्रमशः के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति डाक द्वारा रूपये 100.00 के अतिरिक्त भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है। याचिका तथा टैरिफ प्रस्ताव की प्रति नियामक आयोग की वेब साईट www.mperc.nic.in तथा याचिकाकर्ताओं की वेबसाइट www.mppmcl.com, www.mpez-co.in, www.mpwz.co.in and www.mpcz.co.in पर बिना किसी भुगतान के उपलब्ध है।

आयोग के आदेशानुसार
सचिव